न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 15/2019/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी

तारीख दायराः 22.1.2019

अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 श्योजीराम पुत्र रामकिशन

2 देवलाल पुत्र रामकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी रावले चौक की गली देवपुरा जिला बूंदी

3 प्रेमबाई पुत्री रामकिशन पत्नी शंकर जाति गुर्जर निवासी पुराने पेटोल पम्प के सामने देवपुरा जिला बूंदी।

4 मूर्ति बाई पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर निवाी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

...अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती कैलाश बाई पत्नी रामराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरिया चारणान तह0 तालेडा जिला बूंदी।

2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सी0पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 24.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार (भू अभिलेख) बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नम्बर 9/2017 (रिमांड प्रकरण) बउनवान श्रीमती कैलाशी बाई बनाम श्योजीराम वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 08.1.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम देवपुरा स्थित कृषि भूमि ख0 सं0 497 रकबा 17 बिस्वा ख0 सं0 498 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा तथा कुंआ ख0 नं0 495 रकबा 16 बिस्वा मे हिस्सा 1/2 सुक्खा आ0 चतुर्भुज के खाते की भूमि खातेदार सुक्खा के सन 1977 मे स्वर्गवास होने उपरांत उसकी विरासत का रामकिशन पुत्र सुक्खा के नाम तहसीलदार बूंदी द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 149 दिनांक 4.8.79 ग्राम देवपुरा को अपील सं0 112/2016 बउनवान कैलाशीबाई बनाम श्योजीराम वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 से न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विवादित आराजी के नामान्तरण कार्यवाही हेतु रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध श्योजीराम द्वारा निगरानी सं0 788/2017 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई। जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 8.1.2018 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के अपील सं0 112/16 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 को बहाल रखते हुये निर्णय की पालना मे प्रकरण उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच करते हुये वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार बूंदी को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार बूंदी ने मृतक रामकिशन के अप्रार्थीगण (अपीलांट) विधिक वारिसान व मृतक गोपाली बाई की प्रार्थिया (रेस्पो0 क्रम–1) कैलाशीबाई पुत्री होना प्रकट होने से मृतक सुक्खा के हिस्से की विधिवत आराजी के 1/2 हिस्से प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी होने से नामा0 दर्ज करने का दिनांक 8.1.2019 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट श्योजीराम द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 8.1.2019 आर्बिटेरी केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय के रिमांड निर्देशो के

अति० स० आयु०
कोटा

परिपेक्ष्य मे तहसीलदार बूंदी को सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच करनी थी। रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली मे पेश नही की गई जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उसकी मॉ गोपालीबाई सुक्खा की पुत्री हो बल्कि जो साक्ष्य पत्रावली पर उभर कर आई है उससे गोपाली बाई माधो की पुत्री होना साबित हुई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गोर नही करके त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय गैरकानूनी है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13.5.2015 तथा 2.5.2018 मे सुक्खा के एक मात्र संतान रामकिशन और रामकिशन के वर्तमान मे अपीलांट एवं उनकी विधवा पानाबाई होना माना है जो राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट होने से अविश्वसनीय नही मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.5.2015 तथा वर्तमान पटवारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 2.5.2018 को नजर अंदाज कर जेरअपील निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर बतौर खातेदार अपीलांट लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज चले आ रहे है जो दस्तावेजी साक्ष्य लगान आदि की रसीदें एवं प्रमाण पत्रों से प्रमाणित है यदि गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री होती तो वह भी अपने जीवनकाल मे विभाजन का वाद राजस्व न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकती थी चूंकि गोपाली बाई सुक्खा की संतान नही थी इसलिये उसने कोई वाद राजस्व न्यायालय मे पेश नही किया। कैलाशी बाई ने भूमाफियों के प्रलोभन मे आकर झूठी कार्यवाही पेश की है जिसे साबित करने मे असफल रही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से परे जाकर निर्णय जेरअपील पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.3.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित किया है उसके ,खण्डन मे एक स्वयं पटवारी हल्का द्वारा खण्डन मे दिनांक 13.12.18 को शपथ पत्र पेश किया था जिसमे प्रोपर्टी डीलर मिश्रीलाल व उसके किरायेदार रामेदव उर्फ देवीलाल नि0 विषधारी तहसील हिण्डोली के कहने पर एवं बहकावे मे आंकर भ्रमित होकर रिपोर्ट करना शपथ पत्र मे स्वीकार किया है। इस प्रकार रिपोर्ट दिनांक 14.3.2017 गलत तथ्यों पर आधारित थी तथा ऐसी गलत रिपोर्ट से रेस्पो0 क्रम–1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अनुमानों के आधार पर तथा गोपालीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र वर्ष 2014 का एक सोची समझी साजिश के तहसील गोपाली बाई की मृत्यु उपरांत बनवाया है उसमे गोपाली बाई की माँ छोटीबाई के स्थान पर पार्वतीबाई अंकित करवा दिया जबकि उपरोक्त मृत्यु प्रमाण पत्र मे छोटीबाई के स्थान पर पार्वतीबाई का नाम बतौर माता अंकित करवाने से उसके कोई विधिक अधिकारों का सृजन नही होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे फर्जी दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र को भी आधार मानते हुये जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 की मौसी अर्थात गोपालीबाई की सगी बहिन 72 वर्षीया ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हो साक्ष्य दी है उसमे भी गोोपालीबाई को उसकी सगी बहिन अर्थात माधो की पुत्री होने तथा सुक्खा के पुत्रिया नही होने का कथन किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोपाली बाई की सगी बहिन देवबाई जो कि रेस्पो0 क्रम–1 की सगी मौसी है वह स्वयं सुक्खा के एक मात्र वारिस रामकिशन होने को ताईद करती है। प्रभूलाल के दिनांक 19.7.18 को अधीनस्थ न्यायालय मे हुये बयान मे कैलाशी बाई को गोपालीबाई की पुत्री होने का कथन किया है बयान मे यह भी कथन किया कि माधो के दो पुत्रिया गोपालीबाई एवं देवबाई है जो सुक्खा के बडे भाई माधो की लडकिया है। इसी क्रम मे रंगलाल ने भी सुक्खा के कोई पुत्री नही होने का कथन किया है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे कई गवाहान द्वारा सशपथ बयान दिया तथा जिसके संबध मे कई गवाहान के शपथ पत्र भी पेश हुये जिनसे स्पष्ट था कि सुक्खा के एक मात्र संतान रामकिशन थे और सुक्खा के कोई पुत्री नही थी इसलिये इंतकाल संख्या 149 दिनांक 4.8.79 को सुक्खा की मृत्यु उपरांत उनके एक मात्र वारिस रामकिशन के पक्ष मे तस्दीक किया गया था जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही थी तथा उक्त इंतकाल की जानकारी रेस्पो0 क्रम–1 की माता गोपालीबाई को रही है। यदि गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री होती तो वह अपने जीवनकाल मे उपरोक्त नामा0 को चुनोती दे सकती थी लेकिन गोपाली बाई माधो की पुत्री थी इसलिये उसने अपने जीवनकाल मे उक्त इन्तकाल को कोई चुनोती नही दी इससे स्पष्ट है कि रोस्पो0 क्रम–1 द्वारा कुछ लोगो से मिलकर अपनी मां गोपाली बाई को सुक्खा की पुत्री बताते हुये झूठी अपीले एवं कार्यवाहियां की गई जबकि इस संबध मे किसी भी प्रकार की साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ज्युडिशियल माइंड अपनाकर निर्णय पारित किया है जबकि तहसीलदार बूंदी की डयुटी थी वह सुक्खा के वारिसान की जांच के उपरांत सुक्खा के सभी वारिसान को सुनकर निर्णय पारित करता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सुक्खा के पुत्र रामकिशन की विधवा पानाबाई को सुने बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे शपथ पत्र पेश किये है यह सभी गवाहान न तो देवपुरा के रहने वाले है और ना ही इनको सुक्खा के वारिसान की जानकारी रही है। सभी गवाहान रेस्पो0 क्रम–1 के हितबद्ध गवाह है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण मे कैलाशीबाई यह साबित करने मे सफल नही हुई कि उसकी मॉ गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया। जागा बृजसुन्दर ने शपथ पत्र दिनांक 31.3.15 को

लिख दिया तथा स्व हस्तलिखित प्रपत्र पोथी रिकार्ड के अनुसार दिनांक 22.2.2015 का लिखा हुआ दिया था जिसमे यह उल्लेख है कि माधो के कजोड बेटा व बेटिया देवबाई व गोपालीबाई हुई कजोड की बाल्यकाल मे मृत्यु हो गई माधो की मृत्यु बाद उनकी दोनो लडकियों की शादी उनके काकाओं नारायण व सुक्खा ने करवाई तथा जागा बृजसुंदर ने ही अनुसंधान अधिकारी के समक्ष भी कथन किया था कि माधो की औलाद का नाम कजोड, गोपालीबाई, देवबाई उसकी पोथी मे अंकित है जो उसके भाई प्रवीण के हाथो की हस्तलिखित है। बाद मे बृजसुन्दर को भू माफियाओं ने डराया धमकाया और उनके प्रलभोन मे आकर गोपालीबाई के नाम पर कोंट छांट करके एक शपथ पत्र झूठा आलेखित करवा दिया। रेस्पो0 कैलाशी बाई ने श्योजीराम व देवलाल को झूठे फौजदारी मुकदमे मे फंसाने वास्ते नामा0 सं0 149 दिनांक 4.8.79 मे श्योजीराम व देवलाल द्वारा अपने पिता रामकिशन का नाम अंकित करवाने का उल्लेख किया है। जबकि उस समय दोनो की उम्र 2 वर्ष एवं सात वर्ष रही है ऐसे मे जागा बृजसुन्दर के बयानो को विरोधभासी मानते हुये अपीलांट क्रम 1 व 2 को अग्रिम जमानत का लाभ देते अपने आदेश मे फाइडिंग दी थी। इस प्रकार दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से सुक्खा के एक मात्र वारिस रामकिशन होना तथा सुक्खा के कोई पुत्री नही होना प्रमाणित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी साक्ष्यों को नजरं अंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो गैरकानूनी है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बूंदी के यहां एक घोषणा का दावा भी पेश किया था जिसे दिनांक 9.8.2018 को खारिज कर दिया गया इस प्रकार रेस्पो0 क्रम–1 किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि उक्त दावे मे गोपालीबाई को सुक्खा की पुत्री साबित करने मे रेस्पो0 क्रम–1 असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आईएलआर की रिपोर्ट दिनांक 11.4.2018 का भी गलत आंकलन निकलाते हुये जेरअपील निर्णय पारित किया है पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुये यह स्पष्ट है कि सुक्खा का एक मात्र पुत्र रामकिशन और उसकी मृत्यु उपरांत अपीलांट एवं उनकी विधवा पानाबाई उनके वारिसान है इसलिये उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.2019 अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी ग्राम देवपुरा मे हिस्सा 1/2 सुक्खा आ0 चतुर्भुज के खाते की है। सुक्खा के सन 1978 मे स्वर्गवास होने उपरांत उसकी विरासत का नामा0 सं0 149 दिनांक 4.8.79 पुत्र रामकिशन के नाम तहसीलदार बूंदी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपील जिला कलक्टर बूंदी के न्यायालय मे की गई जिसे मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया। द्वितीय अपील एडीसी न्यायालय मे की गई जिसे निर्णय दिनांक 25.1.2017 से आंशिक स्वीकार कर जिला कलक्टर बूंदी के न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बूंदी को पक्षकारान को सुनवाई एवं प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विवादित आराजी के नामान्तरण कार्यवाही हेतु रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध श्योजीराम द्वारा निगरानी सं0 788/2017 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे पेश की गई। जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 8.1.2018 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के अपील सं0 112/16 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 को बहाल रखते हुये निर्णय की पालना मे प्रकरण उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच करते हुये वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बूंदी को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया। उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार बूंदी ने मृतक रामकिशन के अप्रार्थीगण विधिक वारिसान व मृतक गोपाली बाई की प्रार्थिया कैलाशीबाई पुत्री होना प्रकट होने से मृतक सुक्खा के हिस्से की विधिवत आराजी के 1/2 हिस्से प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी होने से नामा0 दर्ज करने का दिनांक 8.1.2018 को निर्णय पारित किया गया। बहस मे कथन किया गया कि गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री नही थी। मृत्यु प्रमाण पत्र मे माता का नाम पार्वती दर्ज है। नगर परिषद बूंदी ने गोपाली को सुक्खा की पुत्री होना वर्णित किया पटवारी ने स्वय अपने शपथ पत्र मे इसे गलत बताया। अतः ऐसी रिपोर्ट को वैधानिक नही मान सकते। तहसीलदार ने पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूतो पर गोर नही किया। मृत्यु प्रमाण पत्र से गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री होना प्रमाणित नही होता है। तत्समय गोपाली द्वारा उक्त इतकाल को चेलेन्ज नही किया गया प्रोपर्टी की कीमत बढ जाने से वर्ष 2014 मे अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी। तहसीलदार द्वारा रिमांड निर्देशो की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो को नही देखा गया जबकि उसकी डयुटी थी कि पटवारी, आईएलआर की रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान से प्रमाणित कराते। दिनांक 2.5.18 की पटवारी

की रिपोर्ट को नही देखा गया। रामकिशन की विधवा पानाबाई को नही सुना गया। विनोद शर्मा पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 14.3.2017 के खण्डन मे स्वयं का शपथ पत्र दिनांक 13.12.2018 को पेश किया है जिसमे गोपालीबाई को सुक्खा की पुत्री होना प्रोपर्टी डीलर मिश्रीलाल व उसके किरायेदार रामदेव उर्फ देवीलाल के कहने व बहकावे मे आकर भ्रमित होकर गलत रिपोर्ट तैयार की थी। तहसीलदार बूंदी द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अन्त मे अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.22019 अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसके सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ग्राम देवपुरा 1/2 हिस्सा सुक्खा के खाते दर्ज थी सुक्खा का देहावसान 1977 मे हो जाने उपरांत फोती नामा0 149 दि0 4.8.79 रामकिशन पुत्र सुक्खा के नाम तह0 बून्दी द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 के विरूद्ध कैलाशी बाई द्वारा माननीय न्यायालय मे अपील पेश की जिसे दिनांक 25.1.2017 को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को रिमांड किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे निगरानी पेश की गई जो दिनांक 8.1.2018 से खारिज कर दी गई और न्यायालय हाजा के आदेश को बहाल रखते हुये निर्णय की पालना हेतु प्रकरण तहसीलदार बूंदी को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा एवं राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय की अनुपालना मे तहसीलदार बूंदी ने दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, शपथ पत्रो एवं दस्तावेजो का पूर्ण विवेचन करते हुये जांच मे मृतक खातेदार सुक्खा के पुत्र रामकिशन के अलावा पुत्री गोपाली बाई होना माना है। रामकिशन व गोपाली बाई फौत हो चुके है मृतक सुक्खा के हिस्से की आराजी मे सुक्खा की पुत्री गोपाली का 1/2 हिस्सा मानते हुये गोपाली बाई की मृत्यु हो जाने के कारण उसका 1/2 हिस्सा कैलाशीबाई को प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी मानकर पालना हेतु पटवारी हल्का को नामा0 दर्ज करने का आदेश दिया गया है जिसकी पालना मे रेस्पो0 का 1/4 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश की गई जिसमे कोई कानूनी बिन्दू निहित नही होने से आधारहीन है तथा खारिज योग्य है क्योंकि परीक्षण न्यायालय तह0 बूंदी को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर व न्यायालय हाजा के रिमांड निर्देशो की अनुपालना मे मृतक सुक्खा के वारिसान की जांच कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जो सही हैं अन्य बिन्दु अर्थात मियाद का बिन्दू या कब्जे के बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे विरासत का बिन्दू तय करने के लिये बाधक नही है। आदेश दिनांक 25.1.2017 की पालना मे तहसीलदार द्वारा नियमानुसार जांच कार्यवाही शुरू की गई दिनांक 15.2.17 को रेस्पो0 के द्वारा शपथ पत्र, दस्तावेज पेश किये गये परन्तु अपीलांट विरासत के मामले मे जांच नही करवाना चाहते थे इसलिये अपीलांट के द्वारा माननीय न्याया0 के आदेश दि0 25.1.2017 के विरूद्ध मण्डल मे निगरानी प्रस्तुत की गई एंव स्थगन आदेश लाकर पेश कर दिया इस कारण जांच पूर्ण नही हो सकी परन्तु मण्डल द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निगरानी को दिनांक 8.1.18 को खारिज कर दिया गया। तदउपरांत प्रकरण मे कार्यवाही शुरू कर पक्षकारान को तलब किया गया इसी दौरान जांच कार्यवाही रूकवाने बावत न्यायालय अति0 जिला जज क्रम–2 बूंदी के द्वारा प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.1.2018 को खारिज कर दिया परन्तु दिनांक 11.5.18 को एसडीओ के न्यायालय मे विवादित आराजी के मामले मे वाद जेरकार होने के कारण तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित करदी गई परन्तु मण्डल से व एडीजे कोर्ट बूंदी से अपीलांट की कार्यवाही खारिज हो जाने के कारण दिनांक 12.7.18 को पुनः पक्षकारान को तलब किया जाकर जांच कार्यवाही शुरू की गई तथा बाद जांच कार्यवाही जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.19 पारित किया गया। विरासत के सही तथ्य उजागर होने के डर से अपीलांट द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी पेश की जो खारिज हुई एवं मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट श्योजी के द्वारा दिनांक 1.2.18 को तह0 कार्यालय मे हाईकोर्ट से स्टे लाने बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, सम्भवतया अपीलांट को स्टे नही मिला और नही इस संबध मे कोई दस्तावेज इस पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय मे भी अपीलांट कोई ठोस रिलीवेन्ट दस्तावेज पेश नही कर सके। परीक्षण न्यायालय मे दोनो पक्षो ने अपने–अपने दस्तावेज एवं शपथ पत्र पेश किये परन्तु मुख्य दस्तावेज जो धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के तहत पब्लिक रिकार्ड माना जाता है और यह दस्तावेज जागा की पोथी थी एवं फौजदारी कार्यवाही मे जप्त जागा की पोथी मे सुक्खा की पुत्री गोपालीबाई का नाम दर्ज था तथा बृजसुन्दर ने दिनांक 25.7.15 को शपथ पेश कर वर्णित किया कि देवलाल की धमक के कारण गोपाली पुत्री सुक्खा का नाम हटाकर माधो की पुत्री लिखने का दबाव बनाया सी कारण फौजदारी कार्यवाही मे बृजसुन्दर जागा गिरफ्तार हुआ और जेल मे भी रहा तथा अन्य मुलजिम की जमानत राजस्व न्यायालय मे कार्यवाही जेरकार होने के कारण ले ली गई तथा इनके विरूद्ध चालान पेश किया गया जो कार्यवाही आज भी जेरकार है। फर्द जप्ती जागा की फोथी मे पेज नं0 10 पर सेकिण्ड लाईन पर गोपाली बाई लिखा गया था जिस पर मुलजिम श्योजीराम व देवलाल द्वारा मिटाया गया इसकी ताईद बृजमोहन द्वारा थाना कोतवाली बूंदी मे दिये गये शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार रिलेवेन्ट दस्तावेज जागा पोथी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

पार्वतीबाई जो सुक्खा की पुत्री थी एवं आईएलआर रिपोर्ट दिनांक 11.4.18 मे प्रथम दृष्टया गोपालीबाई खातेदार सुक्खा की पुत्री होना प्रमाणित है। आईएलआर रिपोर्ट के बाद पुनः देवलाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.4.18 पर पटवारी द्वारा दिनांक 2.5.18 को की गई जांच कोई मायना नही रखती। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पो0 के द्वारा जांच के समर्थन मे कई व्यक्तियों के शपथ पत्र पेश किये गये किन्तु शपथ पत्रों के आधार पर गोपालीबाई का सुक्खा की पुत्री होने का निर्णय किया सम्भव नही है। इस बिन्दू का विनिश्चय रिलिवेन्ट दस्तावेज जागा की पोथी एवं इस संबध मे प्रस्तुत शपथ पत्र जो जागा बृजसुन्दर द्वारा पेश किया गया, मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाली बाई, रिपोर्ट आईएलआर के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को मध्यनजर रखते हुये सुक्खा खातेदार की पुत्री गोपालीबाई होने व गोपाली बाई की मृत्यु होने पर उसकी पुत्री कैलाशीबाई होना प्रमाणित होने पर तह0 द्वारा जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि व अवैधानिकता नही है। आरआरडी 1995 पेज 406 मे धारा 133 भू राजस्व अधिनियम मे प्रावधित प्रावधानो का उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि विरासत अन्तरण या अन्य किसी प्रकार से किसी सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करता है या अन्य कोई हित या अधिकार किसी भूमि मे या भूमि के लाभ के लिये प्राप्त करता है तो इसके संबध मे नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही धारा 133 भू राजस्व अधि0 के अन्तर्गत की जा सकती है। इस प्रकार के नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही इतने समय बाद की जावे या नही की जावे इस बारे मे भी कोई अन्तिम परिसीमा कॉल निर्धारण नही है एंव आरआरटी 2016 (1) पेज 372 मे यह माना है कि विरासत का नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही वेग एवं एबनीशियों वोइड है ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी चुनोती दी जा सकती है जिसमे मियाद का बिन्दू गौण होता है। आरआरडी 1994 पेज 85(बी) विरासत के नामान्तरण के मामले मे कब्जे का बिन्दू रिलीवेन्स नही होता। आरआरटी 2009 (2) पेज 1280 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों का भी अधिकार होता है। आरआरटी 2007 (2) पेज 1449 कानूनन अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर किसी भी व्यक्ति के न तो अधिकार समाप्त होते है और न ही अधिकार प्राप्त होते है। आरआरटी 2007 (1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा –9 अधिकारिता–घो ाण व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–उत्तराधिकारिता का प्रश्न–उत्तराधिकारिता के प्रश्न को निर्णित करने हेतु केवल सिविल न्यायालय सक्षम है लेकिन राजस्व न्यायालय केवल नामान्तरकरण की प्रविष्टि की वैधता अथवा अवैधता को निर्णित कर सकता है। अतः अपील मय खर्चा खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रकरण मे दिनांक 19.3.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ सूचना चाहने बावत दिनांक 17.1.19 को आरटीआई के तहत प्रस्तुत प्रा0 पत्र, नगर परिषद बूंदी का पत्र 5938 दिनांक 9.3.19 आरटीआई के तहत दिनांक 11.2.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नगर परिषद बूंदी पत्र 5939 दिनांक 9.3.19 की छाया प्रति पेश कर उक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया। प्रार्थना पत्र व उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त दस्तावेजात सत्यापित प्रति नही होकर फोटो प्रतियां होने से रेकार्ड लिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अतः अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित मे अस्वीकार किया जाता है।

6 पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 8.1.2019 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा निगरानी सं0 788/17 बउनवान श्योजीराम बनाम कैलाशीबाई मे दिनांक 8.1.2018 को पारित निर्णय अनुसार अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 25.1.2017 की पालना हेतु प्रकरण उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच कर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बूंदी को रिमांड किया गया था। तहसीलदार बूंदी द्वारा उक्त रिमांड निर्देशो की पालना मे उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने अवसर प्रदान कर मृतक रामकिशन के विधिक वारिसान व मृतक गोपालीबाई की कैलाशीबाई पुत्री होना प्रकट होने से मृतक सुक्खा के हिस्से की विधिवत आराजी के 1/2 हिस्से को प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी होने का आलौच्य निर्णय दिनांक 8.1.2019 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री नही थी। मृत्यु प्रमाण पत्र से गोपाली बाई सुक्खा की पुत्री होना

प्रमाणित नही होता है। तत्समय गोपाली द्वारा उक्त इंतकाल को चेलेन्ज नही किया गया प्रोपर्टी की कीमत बढ जाने से वर्ष 2014 मे अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी। तहसीलदार द्वारा रिमांड निर्देशो की पालना मे पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो को नही देखा गया। रामकिशन की विधवा पानाबाई को नही सुना गया। अपीलार्थी के तर्क के संबध

मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0 149 दिनांक 4.8.79 खातेदार मृतक सुक्खा के फोत होने उपरांत रामकिशन के हक मे तस्दीक किया गया परन्तु इंतकाल के अवलोकन से यह कही स्पष्ट नही होता है कि नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व सुक्खा के वारिसान की जांच की गई हो। नामा0 पर यह भी रिपोर्ट अंकित नही है कि मृतक सुक्खा के रामकिशन के अलावा उसकी बेवा व पुत्री न हो। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे अपील प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 को प्रकरण तहसीलदार को उभय पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमांड किया गया था। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 25.1.2017 की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे प्रस्तुत की गई जो दिनांक 8.1.2018 को खारिज कर न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं0 112/16 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 को यथावत रखा जाकर प्रकरण रिमांड निर्देशो की पालना हेतु तहसीदार बूंदी को रिमांड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट होते है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 1.2.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि अपीलांट/प्रार्थी हाईकोर्ट से स्टे लाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 8.1.2019 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर एंव इस न्यायालय के दिशा निर्देशो की पालना मे पारित किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे मुख्य बिन्दू यह है कि तहसीलदार बूंदी द्वारा मृतक खातेदार सुक्खा के वारिसान की जांच करते हुये सुक्खा की पुत्री गोपालीबाई एवं गोपाली बाई की पुत्री कैलाशी बाई होना माना है जो उचित है या नही। हस्तगत अपील प्रकरण मे वकील अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि रेस्पो0 कैलाशीबाई द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के प्रश्न को न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत अपील सं0 112/16 मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 अनुसार निर्णित किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे इस स्टेज पर मियाद के बिन्दू पर विचार करने की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नही होती है। धारा 133 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विरासत के मामले मे नामान्तरकरण की कोई मियाद नही है तथा उक्त बिन्दू का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे अपील प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 25.1.2017 से यह भी स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण रेस्पो0 कैलाशी बाई के हितो के विरूद्ध ऐब निशियों वाईड है ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी चुनोती दी जा सकती इस संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2016 (1) पेज 372 चस्पा होती है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 85 (बी) से भी स्पष्ट है कि विरासत के नामान्तरकरण के मामले मे कब्जे का बिन्दू रिलिवेन्स नही होता। आरआरटी 2009 (2) पेज 1280 से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियों का भी अधिकार होता है। आरआरटी 2007 (2) पेज 1449 से यह भी स्पष्ट है कि कानूनन अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर किसी व्यक्ति के ना तो अधिकार समाप्त होते है और ना ही अधिकार प्राप्त होते है। हस्तगत अपील प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। नामान्तरकरण का उद्धेश्य पक्षकारों के अधिकारों व दायित्वों (जैसे कि वे हैं) के विषय में (न कि जैसे वे हुआ करते थे) सही सूचना देना है। नामान्तरण के विषय मे निर्णय स्वामित्व के लिए अन्तिम निर्णय नहीं होता, यह तो वित्तीय प्रकृति की कार्यवाही है। इस प्रकार उक्त विवेचन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर न्यायालय तहसीलदार बूंदी द्वारा मृतक सुक्खा के विधिक वारिसान की जांच कर, जांच अनुसार उसके हिस्से की विवादित आराजी के मृतक रामकिशन के अपीलांट विधिक वारिसान व मृतक गोपालीबाई की रेस्पो0 क्रम–1 कैलाशीबाई पुत्री होना प्रकट होने से मृतक सुक्खा के हिस्से की आराजी के 1/2 हिस्से प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी होना मानते हुये पालना हेतु पटवारी हल्का को नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 8.1.2019 पारित किया गया है जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। अपीलांट यदि किसी प्रकार से व्यथित है तो अपने हक हकूको के निर्धारण हेतु रेगूलर वाद अथवा सक्षम सिविल न्यायालय मे चाराजोही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा